सराहनीय कार्य - माह जून – 2026

<u>थाना – दरगाह शरीफ</u>

- **<u>प्रदेश स्तर के चिन्हित माफिया गब्बर सिंह पर गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही</u>**
- **<u>गैंग का 01 सदस्य गैंगेस्टर एक्ट में गिरफ्तार</u>**

दिनांक – 01.06.2026
मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 243/2026 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर अधिनियम

गिरफ्तार अभियुक्त –
अनिल कुमार पुत्र रामकुमार निवासी मोहल्ला हमजापुरा थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच उम्र करीब 59 साल

विवरण-
प्रदेश स्तर पर चिन्हित 68 टॉप माफिया में से जनपद बहराइच के अपराधी गब्बर सिंह उर्फ देवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा एक सुसंगठित आपराधिक गिरोह संचालित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने एवं गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक, भौतिक एवं अन्य प्रकार के लाभ प्राप्त करना है। उक्त गिरोह द्वारा संगठित रूप से जनपद बहराइच सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में निर्बल एवं कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को चिन्हित कर उनकी बहुमूल्य भूमि, भवन एवं अन्य सम्पत्तियों को हड़पने की नीयत से कूटरचित अभिलेख तैयार कर अवैध कब्जा करने जैसे अपराध कारित किए जाते हैं। गिरोह की गतिविधियों के कारण आम जनमानस में भय, आक्रोश एवं आतंक व्याप्त है। उक्त गैंग का सरगना/लीडर गब्बर सिंह उर्फ देवेन्द्र प्रताप सिंह है।

उक्त गैंग के क्रियाकलापों एवं आपराधिक कृत्यों को दृष्टिगत रखते हुए तथा इसके सदस्यों का समाज में स्वच्छन्द रूप से विचरण लोकहित में उचित न होने के कारण नियमानुसार श्रीमान जिलाधिकारी बहराइच महोदय द्वारा गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया। अनुमोदित गैंग चार्ट के आलोक में थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच पर मु0अ0सं0 243/2026 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 01.06.2026 को उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र रामकुमार निवासी मोहल्ला हमजापुरा थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच को अनारकली रोड रेलवे क्रासिंग क्षेत्र से करीब 10.00 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तारी टीमः-
1. प्रभारी निरीक्षक श्री रामाज्ञा सिंह
2. निरीक्षक अपराध श्री रामजन यादव
3. उ0नि0 श्री आशुतोष राय
4. हे0का0 राकेश कुमार
5. का0 प्रेम प्रकाश यादव थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच

थाना – दरगाह शरीफ, हरदी, रुपईडीहा

- **जनपद के 03 थानों में गैंगेस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्यवाही**
- **जनपद में कुल 12 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट में 03अभियोग पंजीकृत 02 , अभियुक्तगण गिरफ्तार**
- **संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु बहराइच पुलिस की बड़ी कार्रवाई**

दिनांक – 01.06.2026
मु0अ0सं0 व धारा –
गैंगेस्टर एक्ट में पंजीकृत अभियोग व कृत कार्यवाही का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त –
थाना दरगाह शरीफ –
- मु0अ0सं0 243/2026 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम बनाम 06 अभियुक्तगण
- गिरफ्तार अभियुक्त - अनिल कुमार पुत्र रामकुमार, निवासी मोहल्ला हमजापुरा, थाना दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच

थाना हरदी -
- मु0अ0सं0 170/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम बनाम 04 अभियुक्तगण
- गिरफ्तार अभियुक्त - रिजवान पुत्र ढोढे, निवासी कस्बा महराजगंज, ग्राम जोत चांदपारा, थाना हरदी

थाना रुपईडीहा -
- मु0अ0सं0 121/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम बनाम 02 अभियुक्तगण

विवरण-
संगठित अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही करते हुए जनपद बहराइच पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई की गई है । उल्लेखनीय है कि जनपद में सक्रिय आपराधिक गिरोहों की गतिविधियों के कारण आम जनमानस में भय, आक्रोश वातावरण बना रहता था, ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु बहराइच पुलिस द्वारा समाज में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई । जिसके क्रम में थाना हरदी, थाना रुपईडीहा एवं थाना दरगाह शरीफ पर कुल 12 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित कर गैंगेस्टर एक्ट के तहत 03 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। संबंधित अभियुक्तों की गतिविधियों, आपराधिक इतिहास एवं उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही संपादित की गई है ।
उल्लेखनीय है कि पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के क्रम में थाना हरदी क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त रिजवान पुत्र ढोढे, निवासी कस्बा महराजगंज, ग्राम जोत चांदपारा, थाना हरदी तथा थाना दरगाह शरीफ क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त अनिल

कुमार पुत्र रामकुमार, निवासी मोहल्ला हमजापुरा, थाना दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई है। प्रकरण में वांछित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं तथा शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी ।

<u>**थाना – मोतीपुर**</u>

<u>**31 ग्राम स्मैक के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार**</u>

दिनांक – 02.06.2026
मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 221/26 धारा 8/21 NDPS ACT

बरामदगी –
31 ग्राम स्मैक

गिरफ्तार अभियुक्त –
मईनुद्दीन खान पुत्र इमरान खान निवासी वार्ड नं. 06 गाँव पालिका बेलहरी थाना नेपालगंज जिला बाकें राष्ट्र नेपाल

विवरण-
दिनांक 01.06.2026 को थाना क्षेत्र भारत नेपाल बार्डर पर बलईगांव में पुराना चेकपोस्ट फुट्टा चौराहे के पास जंगल के पास चेकिंग के दौरान एसएसबी टीम व थाना मोतीपुर पुलिस की संयुक्त टीम को 01 संदिग्ध व्यक्ति मईनुद्दीन खान पुत्र इमरान खान निवासी वार्ड नं. 06 गाँव पालिका बेलहरी थाना नेपालगंज जिला बाकें राष्ट्र नेपाल दिखाई दिया जिससे पूछताछ व चेकिंग की गयी तो उसके पास से नाजायज 31 ग्राम स्मैक बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर उसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 221/26 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत कर अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

गिरफ्तारी टीमः-
थानाध्यक्ष आनन्द कुमार चौरसिया
उ0नि0 अनिल यादव
का0 जय प्रकाश
थाना मोतीपुर जनपद बहराइच

थाना – मटेरा

➢ **24 घण्टे के अन्दर गोकशी करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार**

➢ **आलाकत्ल 02 चाकू, 02 बोगदा बरामद**

दिनांक – 05.06.2026
मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 81/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम

बरामदगी – 02 अदद चाकू व 02 अदद बोगदा

गिरफ्तार अभियुक्त –
1. छब्बन पुत्र इब्राहिम उम्र करीब 55 वर्ष निवासी दर्जिनपुरवा दा0 मोहरबा थाना मटेरा जनपद बहराइच
2. कमरूद्दीन पुत्र मो0 यार उर्फ झब्बर उम्र करीब 58 वर्ष निवासी मदारागढ़ी थाना मटेरा जनपद बहराइच
3. रब्बानी पुत्र गुलाम उम्र करीब 58 वर्ष निवासी चाँदपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद बहराइच वर्तमान पता शंकरपुर चौराहा थाना मटेरा जनपद बहराइच
4. चोंगऊ पुत्र कोइली उम्र करीब 30 वर्ष निवासी मदारागढ़ी थाना मटेरा जनपद बहराइच को किया गया गिरफ्तार

विवरण-
दिनांक 04.06.2026 को श्री कैलाश पुत्र वंशी नि0 मोहरवा थाना मटेरा बहराइच द्वारा मटेरा पुलिस को सूचना दी गयी कि उसकी गाय जो घर के सामने खूंट में बंधी थी, को कुछ अज्ञात व्यक्ति खूंट से खोल ले गये जिसके अवशेष दर्जिन पुरवा नहर के दूसरे तरफ टीले के पास मिले हैं। सूचना का त्वरित संज्ञान लेकर मौके पर पहुंच कर अवशेष को नियमानुसार कब्जा पुलिस में लेते हुए थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया। उच्चाधिकारीगण द्वारा घटना की गंम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये अभियोग के अनावरण व अभियुक्तगण की गिरफतारी हेतु पुलिस टीम का गठन करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
जिसके क्रम में गठित पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी कि आज दिनांक 05.06.2026 को प्रातःकाल मुखबिर खास की सूचना पर मोहरबा नहर पुलिया के पास से अभियोग से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों 1. छब्बन पुत्र इब्राहिम, 2. कमरूद्दीन पुत्र मो० यार, 3. रब्बानी पुत्र गुलाम, 4. चोंगऊ पुत्र कोइली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से गम्भीरतापूर्वक कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा घटना कारित किये जाने की बात स्वीकार की गयी। तत्पश्चात अभियुक्तों की तलाशी से 02 अदद चाकू व 02 अदद बोगदा बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय, बहराइच रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीमः-
1. **थानाध्यक्ष श्री हरिकेश सिंह**
2. **व0उ0नि0 श्री विजय कुमार गुप्ता**
3. **उ0नि0 श्री योगेश्वर यादव**
4. **हे0का0 सन्तोष यादव**
5. **हे0का0 बीरेन्द्र कुमार गुप्ता**
6. **का0 छोटेलाल**
7. **का0 वीरपाल**

थाना – मोतीपुर

25 ग्राम स्मैक के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक – 06.06.2026

मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0स0 – 227/26 धारा 8/21 NDPS ACT

बरामदगी –

25 ग्राम स्मैक

गिरफ्तार अभियुक्त –

मनीराम थापा पुत्र तुले थापा माता का नाम दुर्गा थापा निवासी वार्ड नं0 02 गाँव पालिका बैजनाथ थाना नौबस्ता जिला बाँके राष्ट्र नेपाल उम्र 23 वर्ष

विवरण-

दिनांक 05.06.2026 को थाना क्षेत्र भारत नेपाल बार्डर पर चेकिंग के दौरान थाना मोतीपुर पुलिस की संयुक्त टीम को 01 संदिग्ध व्यक्ति मनीराम थापा पुत्र तुले थापा माता का नाम दुर्गा थापा निवासी वार्ड नं0 02 गाँव पालिका बैजनाथ थाना नौबस्ता जिला बाँके राष्ट्र नेपाल उम्र 23 वर्ष दिखाई दिया जिससे पूछताछ व चेकिंग की गयी तो उसके पास से नाजायज 25 ग्राम स्मैक बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर उसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 227/26 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत कर अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

गिरफ्तारी टीमः-

थानाध्यक्ष श्री आनन्द कुमार चौरसिया

उ0नि0 अनिल यादव

का0 जय प्रकाश

रि0आ0 रोहित सिंह

थाना – रुपईडीहा
गैंगेस्टर अधिनियम में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक – 06.06.2026

मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 121/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. कैलाश पथरकट पुत्र मेवालाल उर्फ टेढे निवासी पथरकट मोहल्ला पुरानी बाजार बाबागंज थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच
2. राजू कुछबंधिया पुत्र पूसू निवासी पथरकट मोहल्ला पुरानी बाजार बाबागंज थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच

विवरण-

थाना रुपईडीहा क्षेत्रान्तर्गत चौकी बाबागंज के पुरानी बाजार स्थित पथरकट मोहल्ला निवासी अभियुक्त कैलाश पथरकट एवं राजू कुछबंधिया द्वारा आर्थिक, भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से संगठित गिरोह बनाकर घूम-घूमकर घरों में चोरी जैसी संगीन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। उक्त गिरोह की आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच के आदेशों निर्देशों के क्रम में थाना रुपईडीहा पर मु0अ0सं0 121/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 पंजीकृत किया गया।

विवेचना के क्रम में प्राप्त मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश सिंह रावत के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 श्री शिवेश कुमार शुक्ला मय पुलिस बल द्वारा उक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्तगण कैलाश पथरकट एवं राजू कुछबंधिया को दिनांक 06.06.2026 को समय लगभग 03:09 बजे दुविधापुर-सोरहिया खड़ंजा मार्ग के सामने वाली सड़क, थाना रुपईडीहा, जनपद बहराइच से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही उपरांत माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीमः-

1. प्र0नि0 श्री रमेश सिंह रावत
2. उ0नि0 श्री शिवेश कुमार शुक्ला
3. मु0अ0 अर्जुन प्रसाद मौर्या
4. आ0 भीष्म यादव
5. आ0 सत्यम सोनी

थाना – बहराइच पुलिस व सर्विलांस सेल

- **101 गुमशुदा मोबाइल अनुमानित कीमत ₹ 25,00,000 बरामद**
- **बरामद मोबाइल उनके धारकों को किया गया सुपुर्द**

दिनांक – 07.06.2026

बरामदगी –

101 गुमशुदा मोबाइल अनुमानित कीमत ₹ 25,00,000 बरामद

विवरण-

पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में जनपद में गुमशुदा मोबाइल फोनों की बरामदगी हेतु सर्विलांस टीम एवं समस्त थाना प्रभारी/थानाध्यक्षों के नेतृत्व में विशेष अभियान संचालित किया गया। उक्त अभियान के क्रम में जनपदीय सर्विलांस टीम द्वारा सभी थानों से समन्वय स्थापित करते हुए भारत सरकार द्वारा संचालित सीईआईआर (CEIR) पोर्टल की नियमित मॉनीटरिंग की गई । अभियान के दौरान जनपदीय पुलिस टीमों द्वारा विभिन्न कंपनियों, जिनमें एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, टेक्नो, रेडमी एवं वनप्लस आदि के कुल 101 गुमशुदा मोबाइल फोन सफलतापूर्वक बरामद किए गए।

बरामद मोबाइल फोनों को आज दिनांक 07.06.2026 को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संबंधित मोबाइल धारकों को विधिवत सुपुर्द किया गया। अपना खोया हुआ मोबाइल फोन प्राप्त कर लाभार्थियों द्वारा बहराइच पुलिस के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पुलिस की तत्परता एवं प्रभावी कार्यप्रणाली की सराहना की गई। इस अवसर पर महोदय द्वारा जनसामान्य से अपील की गई कि वे अपने मोबाइल फोन में 'संचार सारथी' एप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, जिससे मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होती रहें। साथ ही, मोबाइल फोन गुम होने पर मोबाइल की बिल/आईएमईआई संख्या, आधार कार्ड एवं अन्य पहचान पत्र के साथ अपने स्थानीय थाने पर उपस्थित होकर/ ऑनलाइन सीईआईआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। मोबाइल फोन बरामद होने अथवा प्रकरण में की गई पुलिस कार्यवाही की सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर उपलब्ध कराई जाती रहेगी।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गुमशुदा मोबाइल फोनों की बरामदगी में उत्कृष्ट कार्य करने वाली जनपदीय सर्विलांस टीम को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा भी की गई।

बरामदगी टीमः-

1. श्री राकेश कुमार सिंह, प्रभारी सर्विलांस
2. उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह
3. मु0आ0 प्रदीप कुशवाहा
4. आ0 नितिन अवस्थी
5. आ0 आनन्द उपाध्याय
6. सीईआईआर पोर्टल पर नियुक्त समस्त कर्मी
7. थाना स्तर पर गठित रिकवरी टीम

<u>थाना – हुजूरपुर</u>
<u>आयुध अधिनियम से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार,</u>
<u>अवैध तमंचा .315 बोर व कारतूस बरामद</u>

दिनांक – 07.06.2026
मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 171/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हुजूरपुर जनपद बहराइच

बरामदगी –
अवैध तमंचा .315 बोर व कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. **हसीफ पुत्र भोदू नि0 इनायतपुरवा दा0 कंदरा थाना हुजूरपुर जनपद बहराइच**

विवरण-
दिनांक 07.06.2026 को पुलिस टीम व0उ0नि0 श्री राजीव कुमार मिश्र द्वारा थाना क्षेत्रांतर्गत भ्रमण व गश्त की जा रही थी कि इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया जिसे रोककर पूछताछ व तलाशी ली गयी तो कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा व एक अदद कारतूस .315 बोर बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 171/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को विधिक प्रक्रिया अनुरूप माननीय न्यायालय रवाना किया गया । गिरफ्तारी के समय मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया।

गिरफ्तारी टीमः-

1. **व0उ0नि0 श्री राजीव कुमार मिश्र**
2. **उ0नि0 श्री अजीत सिंह**
3. **हे0का0 पंकज यादव**
4. **का0 अमित कुमार सिंह**
5. **का0 सोनू गौड़**
6. **रि0का0 लकी**

<u>**थाना – को0देहात**</u>

<u>**695 ग्राम अवैध गांजा के साथ 1 अभियुक्त गिरफ्तार**</u>

दिनांक – 09.06.2026

मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 212/2026, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट

बरामदगी – 695 ग्राम गांजा

गिरफ्तार अभियुक्त –

सर्वेश पाण्डेय पुत्र स्व0 जागेन्द्र दत्त पाण्डेय निवासी ग्राम मुन्सारी थाना हरदी जनपद बहराइच

विवरण-

दिनांक 08.06.2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा गोविन्दम रेस्टोरेन्ट के पास सघन चेकिंग/गश्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर नियमानुसार तलाशी ली गई, जिसमें उसके कब्जे से लगभग 695 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 212/2026, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

गिरफ्तारी टीमः-

1. **प्रभारी निरीक्षक श्री ददन सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच**
2. **उ0नि0 श्री उ0नि0 मुकेश पाण्डेय, थाना को0 देहात जनपद बहराइच**
3. **उ0नि0 चन्द्रसेन वर्मा, थाना को0 देहात जनपद बहराइच**
4. **का0 सौरभ शुक्ला थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच**
5. **रि0का0 निखिल यादव थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच**

थाना – रानीपुर

➢ **नकबजनी के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

➢ **करीब 6 लाख रुपये का माल बरामद**

दिनांक – 10.06.2026
मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0स0 70/26 धारा 305(A), 331(4) BNS

बरामदगी –

- कुल 11 जोड़ी बिछुआ/बिछिया सफेद धातु
- पुरानी इस्तेमाली/नई व दो अदद अंगूठी पीली धातु
- कान की बाली एक जोडी पीली धातु
- 01 नथिया पीली धातु
- 01 मटर माला पीली धातु
- 04 सिक्के सफेद धातु
- 01 थाली सफेद धातु
- 01 नारियल आकार का दो टुकडे मे सफेद धातु
- 05 सुपारी आकार का सफेद धातु
- 01 पान के पत्ते के आकर का सफेद धातु
- 01 मछली आकार का सफेद धातु
- 01 बासुरी सफेद धातु
- 01 मोबाइल डिस्प्ले मीटू प्लस कम्पनी
- 01 चार्जिग केबल टिकोन कम्पनी
- 01 मोबाइल चार्जर एटूजेड कम्पनी
- 01 इयर फोन सुपर कम्पनी
- नगद 10000/ रु0

गिरफ्तार अभियुक्त –
रवी कश्यप उर्फ नौरंगी पुत्र सुन्दर निवासी गोबरहा थाना रानीपुर जनपद बहराइच उम्र करीब 32 वर्ष

विवरण-
थाना स्थानीय पर आवेदक हरीश्याम मौर्य पुत्र इन्द्रजीत मौर्या निवासी ईशरीपुरवा दा0 गोबरहा थाना रानीपुर जनपद बहराइच द्वारा प्राप्त चोरी के संबंध में सूचना के आधार पर दिनांक 11.05.2026 को थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 70/26 धारा 305(A), 331(4) BNS थाना रानीपुर जनपद बहराइच पंजीकृत हुआ तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के क्रम में थाना स्थानीय पर गठित टीम द्वारा आज दिनांक 10.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर शातिर चोर रवी कश्यप उर्फ नौरंगी पुत्र सुन्दर निवासी गोबरहा थाना रानीपुर जनपद बहराइच उम्र करीब 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से कुल लगभग 6 लाख रुपये कीमती माल बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त को विधिक प्रक्रिया अनुरूप माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री हरेन्द्र कुमार मिश्र
2.उ0नि0 राघव राम
3.उ0नि0 श्री रवि प्रकाश सिंह
4.हे0का0 प्रदुम्न
5. का0 भगवानदीन
6. का0 जितेन्द्र कुमार

<u>थाना – रुपईडीहा</u>

<u>थाना रुपईडीहा पुलिस व SSB के संयुक्त आपरेशन में</u>

<u>16 ग्राम स्मैक के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार</u>

दिनांक – 12.06.2026

मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 137/2026 धारा 8/21 NDPS ACT थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच

बरामदगी – 16 ग्राम स्मैक

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. मेहंदी हसन पुत्र श्री अब्दुल हक उम्र करीब 38 वर्ष निवासी चकिया रोड रूपईडीहा थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच

विवरण-

अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम एवं मादक पदार्थो की तस्करी व तस्करी करने वाले अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में हेतु प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश सिंह रावत के कुशल नेतृत्व में दिनांक 11.06.2026 को भारत नेपाल बार्डर पर थाना रुपईडीहा पुलिस व SSB की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान थाना रुपईडीहा क्षेत्रान्तर्गत भारत नेपाल बार्डर स्थित नेपालगंज रोड रेलवे स्टेशन के निकट पिलर सं0 651/2 के पास 12 ग्राम स्मैक के साथ अभियुक्त महेंदी हसन को गिरफ्तार कर थाना रुपईडीहा पर मु0अ0सं0 137/2026 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत कर अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरांत माननीय न्यायालय बहराइच रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीमः-

थाना रुपईडीहा पुलिस टीम

1. प्र0नि0 श्री रमेश सिंह रावत
2. उ0नि0 श्री अजय कुमार
3. आ0 अभिषेक राय
4. आ0 रविन्दर यादव
5. आ0 जयचन्द गौड़
6. आ0 अभिषेक सिंह

F.COY 42 BN SSB नानपारा

1. SI/GD देवेन्द्र सिंह

4. CT/WM विकास त्रिवेदी

3. CT/GD बिट्टू कुमार

4. डाग हैण्डलर CT/GD गुरूदेव यादव मय डाग AXEL

<u>थाना – रुपईडीहा</u>

<u>थाना रुपईडीहा पुलिस व SSB के संयुक्त आपरेशन में</u>

<u>1.876 कि0ग्रा0 चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार</u>

दिनांक – 12.06.2026

मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 136/2026 धारा 8/20 NDPS ACT

बरामदगी – 1.876 कि0ग्रा0 चरस

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. सादिक पुत्र सलीम उम्र करीब 19 वर्ष निवासी मुस्लिम बाग थान रूपईडीहा जनपद बहराइच
2. सद्दाम पुत्र समीम उम्र करीब 19 वर्ष निवासी मुस्लिम बाग थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच

विवरण-

अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम एवं मादक पदार्थो की तस्करी व तस्करी करने वाले अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में हेतु प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश सिंह रावत के कुशल नेतृत्व में दिनांक **11.06.2026** को भारत नेपाल बार्डर पर थाना रुपईडीहा पुलिस व **SSB** की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान थाना रुपईडीहा क्षेत्रान्तर्गत कस्बा रुपईडीहा में सीमान्त डिग्री कालेज के पास पिलर **सं0 651/11** के पास संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ व तलाशी ली गयी तो **02** अभियुक्त को कब्जे से **1.876 कि0ग्रा0** चरस बरामद की गयी जिसके आधार पर **02** तस्कर सादिक व सद्दाम को हिरासत पुलिस में लेकर थाना रुपईडीहा पर **मु0अ0सं0 136/2026 धारा 8/20 NDPS ACT** पंजीकृत कर उक्त अभियुक्तो को आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरांत माननीय न्यायालय बहराइच रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीमः-

थाना रुपईडीहा पुलिस टीम

1. प्र0नि0 श्री रमेश सिंह रावत
2. उ0नि0 श्री अजय कुमार
3. आ0 सोविन्द्र यादव
4. आ0 विकास प्रजापति
5. आ0 मनोज कुमार वर्मा

F.COY 42 BN SSB नानपारा

1. **SI/GD** भूपेन्द्र सिंह
2. **CT/GD** बलराम सिंह
3. **CT/GD** अजय कुमार
4. **CT/GD** दीन दयाल चौहान
5. डॉग हैण्डलर **CT/GD** एम0डी0 फारूक मय डाग रेंको

<u>थाना – को0नगर</u>

➢ **<u>हत्या के प्रयास का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार</u>**

➢ **<u>घटना में प्रयुक्त .315 बोर तमंचा व .315 बोर खोखा कारतूस बरामद</u>**

दिनांक – 15.06.2026
मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 117/2026 व धारा 109(1) बी0एन0एस0 व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

बरामदगी – घटना में प्रयुक्त .315 बोर तमंचा व .315 बोर खोखा कारतूस बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त –
शौर्य प्रताप सिंह पुत्र केशव प्रताप सिंह निवासी मोहल्ला खत्रीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद बहराइच उम्र करीब 28 वर्ष

विवरण-
दिनांक 14.06.2026 को वादी मुकदमा नईमुद्दीन अंसारी पुत्र स्व० खैराती, निवासी छोटी बाजार, कानूनगोपुरा दक्षिणी, थाना कोतवाली नगर, जनपद बहराइच द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई कि उसका भाई सलमान, उम्र लगभग 28 वर्ष, दिनांक 14.06.2026 को सायं लगभग 17:00 बजे मोटरसाइकिल से सिविल लाइन स्थित मोहल्ला खत्रीपुरा में शराब भट्ठी के पास गया था। वहां मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर हुए विवाद के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे गोली मार दी गई, जिससे उसके बाजू में चोट आई। घटना के उपरांत घायल सलमान को तत्काल उपचार हेतु जिला चिकित्सालय, बहराइच में भर्ती कराया गया तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु०अ०सं० 117/2026, धारा 109(1) बी०एन०एस० बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उच्चाधिकारीगण द्वारा घटना में संलिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी एवं विधिक कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए। उक्त निर्देशों के क्रम में सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों तथा अन्य उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से घटना के सफल अनावरण के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में उ०नि० अजेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया जिसके द्वारा दिनांक 15.06.2026 को सीसीटीवी फुटेज आदि के माध्यम से घटना कारित करने वाले अभियुक्त शौर्य प्रताप सिंह पुत्र केशव प्रताप सिंह, निवासी मोहल्ला खत्रीपुरा, थाना कोतवाली नगर, जनपद बहराइच को उसके घर के पीछे स्थित खंडहरनुमा हिस्से से गिरफ्तार किया गया तथा कड़ाई से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने घटना कारित करना स्वीकार करते हुए बताया कि उसके घर के सामने मोटरसाइकिल खड़ी करने की बात को लेकर हुई कहासुनी के दौरान आवेश में आकर उसने सलमान पर फायर कर दिया था, जिसके बाद वह मौके से भाग गया तथा तमंचा गली में स्थित झाड़ियों में छिपा दिया था, अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा .315 बोर तथा 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीमः-
1. उ0नि0 अजेश कुमार
2. उ0नि0 रवि कुमार यादव
3. हे0का0 संजय कुमार

4. का0 अवधेश वर्मा
5. का0 अजीत वर्मा
6. का0 अजय यादव
7. का0 पंकज गुप्ता
8. का0 रूपेश चतुर्वेदी
9. रि0म0आ0 शिवांगी

<u>थाना – हुजूरपुर</u>

<u>चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त मय बरामदशुदा माल के साथ गिरफ्तार</u>

दिनांक – 14.06.2026

मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 175/26 धारा 305ए, 331(4) बीएनएस थाना हुजूरपुर जनपद बहराइच

बरामदगी –

1. सुरजीत पुत्र लालजी के पास से एक एक जोडी पायल सफेद धातु,एक जोडी बिछिया सफेद धातु,एक नाक की कील पीली धातु व रूपया 2100/-

2. सालिक राम पुत्र दुलारे के पास से एक अदद मंगलसूत्र में जिसमें तीन टीकरी पीली धातु, दो अदद अंगुठी सफेद धातु ,तीन अदद बिछिया सफेद धातु, एक जोडी कान की बाली सफेद धातु व रुपया 2500/ बरामद हुआ

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. सुरजीत पुत्र लाल जी निवासी गजमरवा दा0 बड़ागांव थाना हुजूरपुर जनपद बहराइच

2. सालिकराम पुत्र दुलारे निवासी गजमरवा दा0 बड़ागांव थाना हुजूरपुर जनपद बहराइच

विवरण-

आज दिनांक 14.06.2026 को थाना क्षेत्र में 02 चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था कि इसी दौरान स्थानीय लोगों द्वारा 02 अभियुक्त 1.सुरजीत पुत्र लाल जी 2.सालिकराम पुत्र दुलारे निवासीगण गजमरवा दा0 बड़ागांव थाना हुजूरपुर जनपद बहराइच को थाने पर लाया गया जिन्हें हिरासत में लेकर तलाशी ली गयी तो चोरी का माल सफेद धातु व पीले धातु के आभूषण व नगदी बरामद किया गया, अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा दिनांक 07/08.06.2026 को थानाक्षे त्रांतर्गत सहसलमपुर बौवा में घटित एक अन्य चोरी की घटना को कारित करना स्वीकार किया गया । बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 180/26 धारा 305ए, 331(3), 317(2) बीएनएस पंजीकृत कर दोनों गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को विधिक प्रक्रिया अनुरूप माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तारी टीमः-

1. उ0नि0 श्री शिव वचन सिंह सिसौदिया

2. का0 सोनू गौड़

3. का0 अखिलेश यादव (पीआरवी 6633)

4. का0चा0 प्रशान्त दुबे (पीआरवी 6633)

थाना – रिसिया

➢ हत्या के मुकदमें की संदिग्ध मृतका सकुशल जीवित बरामद

दिनांक – 15.06.2026
मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 83/26, धारा 103(1), 238 बीएनएस

विवरण-
माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना रिसिया पर दिनांक **17.04.2026** को वादिनी श्रीमती कलावती पत्नी जगदीश, निवासी कुरूवारी माफी, थाना मटेरा, जनपद बहराइच के प्रार्थना पत्र, जिसमें विपक्षी गणेश द्वारा उनकी पुत्री गुंजाना की हत्या कर उसके शव को कहीं गायब कर देने का आरोप लगाया गया था, के आधार पर **मु0अ0सं0 83/26, धारा 103(1), 238** बीएनएस बनाम गणेश पुत्र मुनीजर, निवासी ग्राम जुनैठा दाखिला पटना घोशियारी, थाना रिसिया, जनपद बहराइच के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था।
प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत उच्चाधिकारीगण द्वारा मामले के यथाशीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए थे। उक्त क्रम में प्रकरण की विवेचना वरिष्ठ उपनिरीक्षक श्री अमितेंद्र सिंह को सुपुर्द की गई। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादिनी की पुत्री गुंजाना का विवाह लगभग **10** वर्ष पूर्व गणेश पुत्र मुनीजर के साथ हुआ था। लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व गुंजाना एवं उसके पति गणेश रोजी-रोटी के लिए कपूरथला, पंजाब गए थे जहाँ से दिनांक **27.07.2025** को गुंजाना बिना किसी को बताए वहां से कहीं चली गई थी। इस संबंध में उसके पति गणेश द्वारा थाना सिटी कपूरथला, पंजाब में एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया था।
सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से साक्ष्य संकलित एवं विश्लेषित किए गए जिसमें प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर दिनांक **13.06.2026** को गुंजाना को सकुशल बरामद कर लिया गया है, उल्लेखनीय है कि उक्त बरामदगी से हत्या किए जाने संबंधी कयासों का खण्डन होता है। गुंजाना जीवित एवं सकुशल है। प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

बरामदगी टीमः-
1. **व0उ0नि0 श्री अमितेंद्र सिंह**
2. **का0 राम किशोर**
3. **म0आ0 स्मिता सैनी**

<u>थाना – नानपारा</u>

<u>हत्या के प्रयास के मुकदमें में वांछित 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार</u>

<u>घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा, भाला बरामद</u>

दिनांक – 17.06.2026

मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 0137/2026 धारा 109(1), 115(2), 352 एवं 351(3) बीएनएस

बरामदगी –

- **01 अदद तमंचा .312 बोर, 01 अदद भाला**

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. **राधेश्याम पुत्र राममूरत उम्र करीब 25 वर्ष लीलापुरवा दा0 मटिहा थाना कोत0 नानपारा बहराइच**
2. **शंकर पुत्र रामभरोसे उम्र करीब 65 वर्ष लीलापुरवा दा0 मटिहा थाना कोत0 नानपारा बहराइच**
3. **विद्याधर पुत्र बेचन निवासी लीलापुरवा दा0 मटिहा थाना कोत0 नानपारा बहराइच**

विवरण-

दिनांक 12.05.2026 को श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री देशराज, निवासी ग्राम लीलापुरवा दा0 मटिहा थाना कोतवाली नानपारा जनपद बहराइच द्वारा सूचना दी गई कि बड़े पिता रामरूप के पुत्र विनोद को पुरानी रंजिश के कारण विपक्षी राधेश्याम पुत्र राममूरत निवासी उपरोक्त द्वारा फायर कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया तथा मौजूद अन्य विपक्षीगण धनीराम पुत्र राममूरत, राममूरत पुत्र ओरीलाल तथा शंकर पुत्र राम भरोसे निवासीगण उपरोक्त द्वारा वादी मुकदमा, वादी के भाई कैलाश पुत्र देशराज तथा रामरूप पुत्र हीरालाल को मारा पीटा गया तथा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0137/2026 धारा 109(1), 115(2), 352 एवं 351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा उच्चाधिकारीगण द्वारा मामले में प्राप्त आदेशों निर्देशों के क्रम में विवेचना प्रारम्भ की गयी।

विवेचना के क्रम में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे कि तलाश के दौरान मुखबिर खास से प्राप्त सूचना पर दिनांक 17.06.2026 को समय करीब 03.30 बजे बजरिया नहर पुल के पास मुकदमे से संबंधित अभियुक्तगण 1.राधेश्याम पुत्र राममूरत उम्र करीब 25 वर्ष 2.शंकर पुत्र रामभरोसे उम्र करीब 65 वर्ष 3.विद्याधर पुत्र बेचन नि0गण लीलापुरवा दा0 मटिहा थाना कोत0 नानपारा बहराइच को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों की निशान देही पर घटना मे प्रयुक्त 01 अदद अवैध कट्टा 0.312 बोर, 01 अदद भाला की बरामदगी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण को विधिक प्रक्रिया अनुरूप माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा।

गिरफ्तारी टीमः-

1. **प्रभारी निरीक्षक श्री राजनाथ सिंह मय हमराह**
2. **उ0नि0 मनीष कुमार यादव**
3. **उ0नि0 धीरेन्द्र प्रताप सिंह**
4. **हे0का0 मनोहर सिंह**
5. **का0 आलोक विक्रम सिंह**
6. **का0 अवधेश गौड़**
7. **रि0का0 अभिषेक यादव**
8. **रि0का0 प्रियांशु मिश्रा**

<u>थाना – बौण्डी</u>

➢ **<u>थाना बौंडी में अपराधियों से पुलिस मुठभेंड़ ।</u>**

➢ **<u>25000 रुपए के इनामिया हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त के बायें पैर में लगी गोली।</u>**

➢ **<u>अभियुक्त के खिलाफ जनपद के कई थानों में लगभग दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज।</u>**

➢ **<u>अभियुक्त थाना रामगांव का हिस्ट्रीशीटर, थाना फखरपुर गैंगेस्टर का वांछित,</u>**

➢ **<u>कई चोरियों में वांछित।</u>**

दिनांक – **25.06.2026**

अनावरित अभियोग मु0अ0सं0 व धारा –

- **मु0अ0सं0 191/2026 धारा 305ए/331 (4) बीएनएस थाना हुजूरपुर**

बरामदगी –

- **01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर**
- **01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर**
- **01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर**
- **01 अदद मोटरसाइकिल**
- **01 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन**
- **16,600/- नगद (चोरी की धनराशि)**
- **02 जोड़ी सफेद धातु की पायल**
- **08 अदद सफेद धातु की बिछिया**

गिरफ्तार अभियुक्त –

- **असलम पुत्र नदीम निवासी ग्राम सराय मेहराबाद थाना रामगांव जनपद बहराइच**

विवरण-

थाना बौंडी क्षेत्र में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार चोरियों के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम व थानाध्यक्ष बौंडी को निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में आज दिनांक **24/25.06.2026** को क्राइम ब्रांच की स्वॅाट टीम व थानाध्यक्ष बौंडी को मुखबिर खास के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि खैरा बजार से आगे कुदई मार्ग पर कुछ अपराधी चोरी की योजना बना रहे हैं जो चोरी करने की फिराक में है। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम व थाना बौंडी पुलिस टीम मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंची तो तीन संदिग्ध व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर सवार थे उन्हे जब रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होने पुलिस टीम पर ताबड़ तोड़ जानलेवा हमले की नियत से फायर कर दिया, आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा किए गए फायर से एक अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी और उसके **02** साथी फरार हो गए, घायल अभियुक्त असलम पुत्र नदीम निवासी ग्राम सराय मेहराबाद थाना रामगांव का निवासी है जिसकी तलाशी से **01** अदद अवैध तमंचा **.315** बोर, कारतूस, मोटरसाइकिल, एंड्रॉयड मोबाइल फोन, **16,600/-** चोरी की नगदी आदि बरामद हुआ । उक्त अभियुक्त के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में लगभग दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो थाना रामगांव का हिस्ट्रीशीटर है तथा थाना फखरपुर से गैंगेस्टर का वांछित व **25000** रुपए का इनामिया अभियुक्त है, घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पातल भेजा गया है तथा मौके से फरार दोनों अभियुक्त फिरोज व मुल्कराज की पुलिस टीम द्वारा तलाश की जा रही है । पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच श्री

विश्वजीत श्रीवास्तव एवं अन्य उच्चाधिकारीगण द्वारा मौके पर पहुँचकर घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी टीमः-
थाना बौण्डी
1.थानाध्यक्ष श्री त्रिलोकी नाथ मौर्य
2.उ0नि0 श्री प्रदीप गंगावर
3.हे0का0 रवि शंकर पाण्डेय
4.का0 कुलदीप साहू
5.का0 सूर्य प्रताप सिंह

स्वाट टीम
1.प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह
2.उ0नि0 श्री राशिद अली
3.उ0नि0 पूर्णेश नरायण पाण्डेय
4.हे0का0 मो0 अख्तर
5.हे0का0 सुधीर कुमार
6.का0 नरोत्तमपुरी

<u>थाना – रामगांव, कैसरगंज</u>

<u>बहराइच पुलिस की अन्तर्जनपदीय शातिर अपराधियों के साथ थाना रामगांव व कैसरगंज क्षेत्र में हुई मुठभेड़ ।</u>

- **<u>देर रात क्राइम ब्रांच की स्वॉट टीम, थाना रामगांव व थाना कैसरगंज पुलिस की शातिर अपराधियों के साथ दो अलग-अलग स्थानों पर हुई मुठभेड़ ।</u>**
- **<u>50,000-50,000 रुपए के इनामिया दोनों अपराधियों के पैर में लगी गोली ।</u>**
- **<u>अभियुक्तों का जनपद बहराइच, लखनऊ, श्रावस्ती, गोण्डा जनपदों में दर्जनों चोरी के मुकदमों का लम्बा आपराधिक इतिहास ।</u>**
- **<u>दोनों अपराधी थाना बौंडी के हिस्ट्रीशीटर ।</u>**

<u>कई चोरी के मुकदमों में थे दोनों वांछित ।</u>

दिनांक – 28.06.2026

मु0अ0सं0 व धारा – (संबंधित अभियोग)

- **मु0अ0स0 191/2026 धारा 305, 331(4) बीएनएस थाना हुजूरपुर**

बरामदगी –

अभियुक्त फिरोज-

- **₹2040 नगद**
- **2 झाले पीली धातु**
- **दो मोबाइल**
- **01 देशी तमंचा .315 बोर**
- **02 जिंदा कारतूस .315 बोर**
- **01 खोखा कारतूस .315 बोर**

अभियुक्त मुल्क राज -

- **₹2400 नगद**
- **10 बिछुआ सफेद धातु**
- **01 देशी तमंचा .315 बोर**
- **02 जिंदा कारतूस .315 बोर**
- **01 खोखा कारतूस .315 बोर**

गिरफ्तार अभियुक्त –

- **फिरोज पुत्र फौजदार निवासी ग्राम मुड़कटी थाना बौंडी जनपद बहराइच**
- **मुल्क राज पुत्र श्याम बिहारी निवासी रायपुर भैसवा थाना बौंडी जनपद बहराइच**

विवरण-

जनपद बहराइच में चोरी की घटनाओं की रोकथाम व अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस टीमों का गठन करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे जिसके क्रम मे दिनांक 27/28.06.2026 की रात्रि को क्राइम ब्रांच की स्वाट व थाना रामगांव पुलिस की संयुक्त टीम को मुखबिर खास के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि दिनाक 25-06-26 बौंडी थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ अपराधियों से हुई मुठभेड़ में 25000 रुपये का ईनामी अपराधी असलम पुलिस

मुठभेड़ में घायल होने के बाद गिरफ्तार किया गया था और उसके जो दो साथी मौके से फरार हो गए थे, वे दोनों अपराधी मोटर साइकिल से भकला गोपालपुर की ओर से आ रहे हैं, उनके पास चोरी का माल और नजायज शस्त्र भी है। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम व थाना रामगांव पुलिस की संयुक्त टीम मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान अकिलापुर चौराहे से भकला गोपालपुर रोड पर पहुंचे तो दो संदिग्ध व्यक्ति जो एक मोटरसाइकिल पर सवार थे उन्हे जब रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होने पुलिस टीम पर जानलेवा हमले की नियत से फायर कर दिया, आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा किए गए जवाबी फायर से एक अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगने से वह मौके पर गिर गया जबकि उसका एक अन्य साथी मोटर साइकिल से फरार हो गया। घायल अभियुक्त से पूंछताछ करने पर उसने अपना नाम फिरोज पुत्र फौजदार निवासी ग्राम मुड़कटी थाना बौंडी जनपद बहराइच बताते हुए अपने फरार साथी का नाम मुल्कराज बताया, अभियुक्त फिरोज उपरोक्त की तलाशी से ₹2040 नगद, 2 झाले पीली धातु, दो मोबाइल, 01 देसी तमंचा .315 बोर 02 जिंदा कारतूस .315 बोर, 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पातल भेजा गया तथा फरार अभियुक्त की तलाश में जनपद की पुलिस टीमें लगातार कांबिंग कर रही थीं कि इसी बीच थाना कैसरगंज के रुकनापुर तिराहे से करसर बिटौरा पर कैसरगंज और स्वाट टीम के द्वारा काम्बिंग के दौरान की जा रही चेकिंग में एक संदिग्ध मोटर साइकिल को रोकने का प्रयास किया गया तो मोटर साइकिल सवार बदमाश ने पुलिस पर जानलेवा हमले की नियति से फायर कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में अपराधी के पैर में गोली लगने से अपराधी वहीं गिर गया। पूछताछ में अपराधी ने अपना नाम मुल्क राज पुत्र श्याम बिहारी निवासी रायपुर भैसवा थाना बौंडी बताया। घायल अपराधी के पास से 10 बिछुआ सफेद धातु ₹2400 नगद, 01 देशी तमंचा 315 बोर 02 जिंदा कारतूस 315 बोर और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। उपरोक्त दोनों अपराधियों के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में दर्जनों चोरी के मुकदमे दर्ज है और दोनों कई मुकदमों में वांछित थे। घायल अभियुक्त मुल्कराज शातिर चोर और थाना बौंडी का हिस्ट्रीशीटर हैं व 50,000 रुपए का इनामिया अभियुक्त हैं। घायल अभियुक्त मुल्कराज को भी प्राथमिक उपचार हेतु अस्पातल भेजा गया है। दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। उपरोक्त दोनों घटनाओं के सम्बन्ध में अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी टीमः-

1. थाना रामगांव

- थानाध्यक्ष श्री गुरुसेन सिंह
- व0उ0नि0 अशोक कुमार यादव
- उ0नि0 श्री नन्द किशोर सिंह
- उ0नि0 श्री हेमंत कुमार सिंह
- हे0का0 भगवानदास
- हे0का0 अमरजीत
- का0 पवन यादव
- का0 कृष्ण कुमार चौधरी

स्वॉट टीम

- प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार
- उ0नि0 श्री राशिद अली
- हे0का0 मो0 अख्तर
- हे0का0 सुधीर कुमार

2. थाना कैसरगंज

- थानाध्यक्ष श्री राजकुमार पाण्डेय
- उ0नि0 श्री आलोक कुमार गौतम
- हे0का0 दया यादव
- का0 ओम प्रकाश पाण्डेय
- हे0का0 प्रदीप सिंह
- का0 विजय कुमार

स्वॉट टीम

- उ0नि0 श्री पूर्णेश पाण्डेय
- हे0का0 राजेन्द्र यादव
- हे0का0 अजीतचन्द सिंह
- का0 धर्मेन्द्र वर्मा

थाना – रूपईडीहा

11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम व धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित 02 आरोपी गिरफ्तार

दिनांक – 29.06.2026

मु0अ0सं0 व धारा –

मु0अ0सं0 62/2026 के अंतर्गत धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम तथा धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम

बरामदगी –

अवैध मांस बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. सितारा देवी उर्फ सुगरी पुत्री राजू उम्र करीब 27 वर्ष निवासी मुस्लिमबाग थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच

2. नौसाद अली पुत्र सोहरब उम्र करीब 48 वर्ष निवासी महराजगांज बस स्टेण्ड गोण्डा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा वर्तमान पता मुस्लिम बाग थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच

विवरण-

दिनांक 29.03.2026 को थाना रूपईडीहा पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में चेकिंग एवं गश्त के दौरान मुस्लिम बाग क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इस दौरान अभियुक्ता सितारा देवी उर्फ सुगरी, पुत्री राजू, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी मुस्लिम बाग, थाना रूपईडीहा, जनपद बहराइच तथा अभियुक्त नौसाद अली, पुत्र सोहरब, उम्र लगभग 48 वर्ष, मूल निवासी महाराजगंज बस स्टैंड, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा, वर्तमान पता मुस्लिम बाग, थाना रूपईडीहा, जनपद बहराइच के किराये के कमरे से अवैध मांस बरामद किया गया जिसके परीक्षण उपरांत दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर थाना रूपईडीहा पर मु0अ0सं0 62/2026 के अंतर्गत धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम तथा धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा विधिक कार्यवाही पूर्ण कर दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय, बहराइच रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीमः-

1. **उ0नि0 अजय कुमार**
2. **मुख्य आरक्षी उमेश यादव**
3. **आ0 अश्वनी कुमार**
4. **महिला आरक्षी मान्यता त्रिवेदी**

<u>**शाखा – डीसीआरबी**</u>

जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी (DDC) द्वारा मादक पदार्थों के कुल 62 अभियोगों से संबंधित माल अनुमानित कीमत करीब 9 करोड़ 32 लाख रुपये का निस्तारण/विनिष्टीकरण

दिनांक – 30.06.2026

विवरण-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोगों में बरामद मादक पदार्थों के विनष्टीकरण/निस्तारण हेतु चलाए जा रहे अभियान "ऑपरेशन दहन" के क्रम में पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में जनपद के विभिन्न थानों पर अवैध मादक पदार्थों से संबंधित पंजीकृत अभियोग से संबंधित मालों के निस्तारण हेतु मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में गठित जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी (DDC) द्वारा मादक पदार्थों, स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और नियंत्रित पदार्थों के निस्तारण की कार्यवाही के क्रम में दिनांक 29.06.2026 को जनपद बहराइच पुलिस द्वारा जनपद के थानों पर अवैध मादक पदार्थों से संबंधित पंजीकृत कुल 62 अभियोगों से सम्बंधित कुल 191.46 किग्रा लगभग (अवैध स्मैक, चरस, गांजा, पोस्ता का छिलका व अन्य) अनुमानित कीमत करीब (9,32,16,900 रु) का विनष्टीकरण मानक के अनुसार जनपद जनपद बलरामपुर अन्तर्गत भगवतीगंज चीनी मिल में स्थित पावर प्लांट के इन्सिनेटर के माध्यम से कराया गया।

थाना – रुपईडीहा

आदर्श आयुर्वेदिक औषधि पसल (स्टोर) से कुल 2,349 बोतल कोडीन युक्त नशीली कफ सिरप (कुल वजन 2 कुन्तल 34 किलो 900 ग्राम), 12,145 ट्रामाडोल कैप्सूल तथा अन्य विभिन्न प्रकार की नशीली/नियंत्रित दवाइयाँ बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक – मु0अ0सं0 168/2026 धारा 8/21/22 NDPS ACT व धारा 278 BNS धारा 18A,18B, 18C, 27, 28, 28A औषधि एवं प्रसाधन सामाग्री अधिनियम थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच
मु0अ0सं0 व धारा –

बरामदगी –
कुल 08 प्रकार की अवैध नशीली/नियंत्रित दवाइयाँ एवं कफ सिरप बरामद, विवरणः-

- **कोडीन युक्त कफ सिरप – 2349 शीशी (100 ML प्रत्येक), कुल मात्रा 2 कुन्तल 34 किलो 900 ग्राम।**
- **ट्रामाडोल – 12,145 कैप्सूल।**
- **नित्राजेट पीएम-10 – लूज टैबलेट, कुल वजन 4 किलोग्राम 510 ग्राम।**
- **नित्राजोहम-10 HM – 698 टैबलेट।**
- **निटकोर-10 – 257 टैबलेट।**
- **एल्फ्राजोल – 509 टैबलेट।**
- **चोको DX कोडीन युक्त कफ सिरप – 4 बोतल (100 ML प्रत्येक), कुल 400 ML। एस.पी.ए.एस. वन – 64 कैप्सूल (8×8)**

गिरफ्तार अभियुक्त –
आदित्य कुमार मिश्रा पुत्र कृपाराम मिश्रा उम्र करीब 44 वर्ष निवासी स्टेशनरोड केवलपुर रूपइडीहा जनपद बहराइच

विवरण-
दिनांक 29.06.2026 को औषधि प्रशासन विभाग एवं थाना रुपईडीहा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अवैध रूप से संचालित मेडिकल स्टोरों एवं प्रतिबंधित/नियंत्रित औषधियों की बिक्री की रोकथाम हेतु अभियान चलाकर थाना क्षेत्र रुपईडीहा में सघन चेकिंग की जा रहा थी। चेकिंग के दौरान आदर्श आयुर्वेदिक औषधि पसल (स्टोर), स्टेशन रोड कस्बा रूपइडीहा के संचालक आदित्य कुमार मिश्रा से बिना वैध लाइसेंस के **08** बोरियों में प्रतिबन्धित नशीली कफ सिरप बरामद हुआ।
बरामदगी के आधार पर थाना रुपईडीहा पर **मु0अ0सं0 168/2026 धारा 8/21/22 NDPS ACT व धारा 278 BNS धारा 18A,18B, 18C, 27, 28, 28A** औषधि एवं प्रसाधन सामाग्री अधिनियम बनाम अभियुक्त आदित्य कुमार मिश्रा पुत्र कृपाराम मिश्रा के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीमः-

1. प्र0नि0 श्री रमेश सिंह रावत
2. उ0नि0 श्री राहुल सरोज

3. आरक्षी अभिषेक राय
4. आरक्षी अभिषेक सिंह
5. आरक्षी जयचन्द गौड़
6. आरक्षी रविन्द्र यादव
7. आरक्षी विकास प्रजापति
8. महिला आरक्षी बैजंती राजपूत